प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रायबरेली।

सेवा में,

उपनिदेशक
जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक
लोहिया भवन अलीगंज
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

पत्रांक- 343 /जि0पं0/2024-25 दिनांक- 18.12.2024

विषय-जिला पंचायत रायबरेली में लागू/प्रभावी लाइसेंस उपविधि की सत्यापित प्रति प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि आप द्वारा जिला पंचायत रायबरेली में लागू/प्रभावी लाइसेंस उपविधि की सत्यापित कापी चाही गयी है।

उक्त के अनुपालन में जिला पंचायत रायबरेली में लागू/प्रभावी लाइसेंस उपविधि की सत्यापित कापी पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रायबरेली

क्रम-संख्या—212

रजि०नं०एल०डब्लू०/एन०पी०-8

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 29 जुलाई, 1999

श्रावण 7, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1619/सत्रह वि-1-1 (क)-32-1999

लखनऊ, 29 जुलाई, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 29 जुलाई, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1999

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1999]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय—एक

प्रारंभिक

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

दुकान मूल

यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो उस तारीख के बाद जिस पर पहली बार दण्ड दिया गया हो, तब तक के लिए 25 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दण्ड किया जा सकेगा जब तक कि अपराधी का अपराध में रत रहना सिद्ध हो ।

के0 के0 सिन्हा,
जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद ।

खण्ड-घ--पंचायतीराज

10 फरवरी, 1987 ई0

सं0 466/21-ए--13 (86-87)-2--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम की धारा 239(2) (घ) व (ज) के अन्तर्गत जनपद रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों को नियंत्रित करने हेतु जिला परिषद्, रायबरेली ने निम्नलिखित उपविधियां बनाई है जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 241(1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया जाता है। इस संबंध में जो भी आपत्ति या सुझाव हो, उसे विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशित होने के 30 दिन के अन्दर आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के सम्मुख प्रस्तुत करें । निर्धारित समयावधि के उपरान्त यह मानते हुए कि कोई सुझाव या आपत्तियां नहीं हैं, इन उपविधियों को अंतिम रूप देते हुए पुष्ट कर लिया जायेगा :

उपविधि

1--कोई भी व्यक्ति रायबरेली जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में निम्नलिखित तालिका में लिखित व्यवसाय नहीं करेगा, जब तक कि उसने जिला परिषद्, रायबरेली से लाइसेंस न प्राप्त कर लिया हो ।

2--लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये लाइसेन्स प्राप्तकर्ता को निम्नलिखित व्यवसायों के सामने लिखी हुई धनराशि शुल्क के रूप में देय होगी :

तालिका

क्रम-संख्या	व्यवसाय का नाम	धनराशि, जो लाइसेंस प्राप्त करने के बदले जमा करनी है
1	2	3
		रु0
1	रेडीमेड कपड़े होजरी तथा अन्य कपड़े की फुटकर दुकान	25.00
2	परचून व खाद्य सामग्री की दुकान	30.00
3	हलवाई या मीठा गुड़ की दूकान	30.00
4	होटल	30.00
5	चाय व चाट की दूकान	20.00
6	इमारती लोहे की दूकान	50.00
7	इमारती लकड़ी, फर्नीचर, पलंग आदि सामान बनाने का व्यवसाय या दुकान	50.00
8	चमड़ा, प्लास्टिक आदि के जूता-चप्पल की दूकान	30.00
9	गल्ले का व्यवसाय व दुकान	30.00
10	पीतल, कलकुट, गिलट, स्टील, अलमोनियम के बर्तनों आदि की दूकान	50.00
11	लोहे के बर्तन औजारों आदि की दूकान	30.00
12	कपड़े की थोक दुकान	100.00
13	सोना-चांदी के आभूषण आदि की दुकान	100.00
14	लोहे, गिलट व कलकुट के आभूषणों व घुंघरू रस्सी की दूकान	30.00
15	स्टेशनरी की दूकान	20.00
16	दरी, कम्बल, कालीन की दूकान	50.00
17	देशी कपड़े, टाट पट्टी, हथकरघा कपड़ों की दूकान	20.00
18	लकड़ी के टाल या कोयले की दूकान	50.00
19	पेट्रोल डीजल पम्प	200.00
20	नयी साइकिल विक्रय की दूकान	50.00
21	साइकिल रिपेयर का व्यवसाय या फुटकर पुर्जों के विक्रय की दूकान	20.00
22	बिसातखाना चूड़ी, कंघा, कटोरी, ताला, चाकू, जनरल स्टोर तथा प्लास्टिक के अन्य सामान की दूकान	20.00
23	सिंचाई इंजन, कृषि मशीनों, चारा मशीन तथा उनके पुर्जों व पार्ट्स विक्रय की दूकान	100.00
24	बीड़ी, सिगरेट, पान व तम्बाकू की दूकान	10.00
25	घड़ी साज की दूकान	20.00
26	रेडियो लाउडस्पीकर बिजली के सामान के विक्रय तथा मरम्मत की दूकान	25.00
27	हेयर कटिंग सैलून	10.00
28	टेलरिंग का व्यवसाय व दुकान	20.00
29	सिलेंडर इंजन, क्रूड आयल तथा मोबिल आयल विक्रय की दुकान	30.00
30	हैवी लाइट व्हीकिल, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल के टायर, कल पुर्जों के विक्रय तथा मरम्मत की दूकान	30.00
31	वस्त्र रंगाई व छपाई की दूकान	25.00
32	देशी वनस्पतियों तथा कड़वे व अन्य खाद्य तेलों के विक्रय की दूकान	30.00
33	खोया उत्पादक	30.00
34	खोया विक्रेता	30.00

1	2	3
		रु0
35	चूरा, लाई, गुड़ पट्टी, गट्टा, खिलौने, बिस्कुट व पट्टी की दुकानें	20.00
36	बेंत, बांस-बल्ली तथा लकड़ी व खाटों की दुकानें	30.00
37	साग, सब्जी, भाजी तथा फल की दुकान	20.00
38	दुध विक्रय व व्यवसाय के लिये	30.00
39	बालू, सीमेन्ट, मोरंग, चूना, सुर्खी, वार्निश व पेन्ट की दुकान	50.00
40	अन्य सभी प्रकार के व्यवसाय व दुकानें जो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं आती हैं	30.00

3--लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये ओंकित धनराशि लाइसेन्स प्राप्तकर्ता सीधे या जिला परिषद् कार्यालय, रायबरेली में आकर जमा कर सकता है, या जिला परिषद्, रायबरेली द्वारा इन कार्यों के लिये अधिकृत कर्मचारियों को भुगतान कर लाइसेन्स प्राप्त कर सकता है ।

4--(अ) कोई भी व्यक्ति जो किसी छूत की बीमारी से पीड़ित हो, न तो इन उपविधियों में वर्णित कोई व्यवसाय कर सकता है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को न तो नौकर या सहायक ही रख सकता है जो इस प्रकार से रोग से ग्रस्त हो ।

(ब) उपविधि की धारा 2 में वर्णित खाद्य व पेय पदार्थों से सम्बन्धित व्यवसाय में खाद्य व पेय पदार्थों को तैयार करने में कोई भी व्यक्ति ऐसे धातु के बर्तन का प्रयोग न करेगा, जो खाद्य या पेय पदार्थ को विकृत या दूषित करता हो अथवा जिन पर बनाया, रखा हुआ पदार्थ हानिकर हो ।

(स) खाद्य या पेय पदार्थ सम्बन्धी व्यवसायियों को ऐसे प्रबन्ध करने होंगे कि खाद्य या पेय पदार्थ पर मक्खी या अन्य बीमारी फैलाने वाले कीटाणु समाविष्ट न हो सकें ।

5--जन स्वास्थ्य की सुविधा के लिये संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका होने पर सूचना प्राप्त होते ही जिला परिषद अपने स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अथवा शासन द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता से यथाशीघ्र रोग संक्रमण रोकने की उचित व्यवस्था करायेगी ।

6--इन उपविधियों के अन्तर्गत मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, रायबरेली लाइसेंसिंग अधिकारी होंगे । उनके द्वारा अधिकृत करने पर अन्य अधिकारी/कर्मचारी भी लाइसेन्स जारी कर सकते हैं ।

7--जिला परिषद्, रायबरेली के अध्यक्ष/सदस्यगण/मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी कर अधिकारी/अभियन्ता/अपर अभियन्ता/कर समाहर्ता तथा मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अधिकृत अन्य जिला परिषदीय कर्मचारी भी लाइसेन्स का निरीक्षण कर सकते हैं ।

8--लाइसेन्स प्राप्तकर्ता द्वारा उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करने पर मुख्य अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कार्य अधिकारी/कर अधिकारी लाइसेन्सधारी के लाइसेन्स को निलम्बित अथवा रद्द कर सकते हैं ।

9--तालिका में उल्लिखित उन व्यवसायों में जिनकी बिक्री माप-तौल करके होती है के विक्रय में सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बांटों व मापों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा ।

10--केन्द्र अथवा राज्य सरकार या अन्य कोई विधि संस्था के धारा 2 में उल्लिखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु यदि कोई हो, तो भिन्न यह लाइसेन्स होगा ।

11--लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष की होगी जो अप्रैल से प्रारम्भ होगी तथा 31 मार्च को समाप्त होगी ।

12--इन उपविधियों के अन्तर्गत अपने लाइसेन्स जून तक बनवा लेने होंगे, ऐसा न करने पर विलम्ब के प्रत्येक माह के लिये निम्नांकित दर से विलम्ब शुल्क देय होगा । विलम्ब की अवधि एक जुलाई से प्रारम्भ होगी ।

विलम्ब शुल्क के धन का विवरण

क्रम-सं0	व्यवसाय का नाम	विलम्ब शुल्क का धन
1	2	3
		रु0
1	रेडीमेड कपड़ा, होजरी तथा अन्य कपड़े की फुटकर दुकान	[illegible]
2	परचून व खाद्य सामग्री की दुकान	
3	हलवाई या मीठा गुड़ की दुकान	
4	होटल	2.[illegible]
5	चाय व चाट की दुकान	2.[illegible]
6	इमारती लकड़ी, फर्नीचर, पलंग आदि बनाने का व्यवसाय या दुकान	5.[illegible]
7	इमारती लोहे की दुकानें	5.[illegible]
8	चमड़ा, प्लास्टिक आदि के जूता, चप्पल की दुकान	2.[illegible]
9	गल्ला का व्यवसाय या दुकान	2.[illegible]
10	पीतल, कसकुट, गिलट, स्टील, अल्युमीनियम के बर्तनों आदि की दुकान	2.[illegible]
11	लोहे के बर्तन व औजारों आदि की दुकान	2.[illegible]
12	कपड़े की थोक दुकान	5.[illegible]
13	सोना चांदी के आभूषण की दुकान	5.[illegible]
14	लोहे, गिलट व कसकुट के आभूषणों व घुंघरू, रस्सी की दुकान	[illegible]

1	2	3
		रु०
15	स्टेशनरी की दुकान	2.00
16	दरी, कम्बल, कालीन की दुकान	5.00
17	देशी कपड़ा, टाट-पट्टी, हथकरघा, कपड़ा की दुकान	2.00
18	लकड़ी के टाल या कोयले की दुकान	5.00
19	पेट्रोल व डीजल पम्प	10.00
20	नयी साइकिल विक्रय की दुकान	5.00
21	साइकिल मरम्मत का व्यवसाय या फुटकर पुर्जे विक्रय की दुकान	2.00
22	बिसातखाना, चूड़ी, क्राकरी, कंघी, ताला, चाकू, जनरल स्टोर तथा प्लास्टिक की अन्य सामग्री की दुकान	2.00
23	सिंचाई इंजन, कृषि मशीनें, चारा मशीन तथा उनके पुर्जे व पार्ट्स विक्रय की दुकान	5.00
24	बीड़ी, सिगरेट व पान, तम्बाकू की दुकान	2.00
25	पट्टी साज की दुकान	2.00
26	रेडियो, लाउडस्पीकर, बिजली के सामान के विक्रय तथा मरम्मत की दुकान	2.00
27	हेयर कटिंग सैलून	1.00
28	बर्तन का व्यवसाय व दुकान	2.00
29	मिट्टी तेल, डीजल, मोबिल आयल तथा क्रूड आयल विक्रय की दुकान	2.00
30	हैवी व्हाइट व्हीकिल, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल के टायर, कल पुर्जों के विक्रय तथा मरम्मत की दुकान	2.00
31	वस्त्र रंगाई व छपाई की दुकान	2.00
32	देशी व वनस्पति घी, कड़ुआ तथा अन्य खाद्य तेलों के विक्रय की दुकान	2.00
33	खोंचा विक्रेता	2.00
34	गुड़,लाई, मूंगफली, पट्टा, खिलौने, बिस्कुट, खुटिया व पट्टी की दुकान	2.00
35	खोया उत्पादक	5.00
36	बेंत, बांस, बल्ली तथा लट्ठों व लाठी की दुकान	2.00
37	साग, सब्जी, भाजी तथा फल आदि की दुकान	2.00
38	दूध विक्रय या व्यवसाय के लिये	2.00
39	बालू, सीमेन्ट, मोरंग, चूना, सुर्खी, वार्निश, पेन्ट आदि की दुकान	2.00
40	अन्य सभी दुकानें व व्यवसाय जो 'उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं आती है	2.00

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद्, रायबरेली घोषणा करती है कि उपरोक्त उपनियमों में से किसी उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध होने पर 250 (दो सौ पचास) रुपये तक का अर्थदण्ड किया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने के बाद प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहा है, 10 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना न जमा होने पर 3 माह तक का कारावास का दण्ड भी दिया जा सकता है ।

कालिका प्रसाद,
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला परिषद्, रायबरेली ।

प्रमाणित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रायबरेली

पी० एस० यू० पी०—4 हिन्दी गजट-भाग 3—1987 ई० ।

मुद्रक और प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।